महिलाओं का कल्याण एवं विकास तथा सशक्तिकरण

17.1 31.1.2014 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय में कुल 156 कर्मचारी हैं जिनमें से महिला कर्मचारियों की संख्या 19 (अर्थात लगभग 14%) है। इन 19 महिला कर्मचारियों में से 10 राजपत्रित अधिकारी हैं।

17.2 कोल इंडिया लि.

17.2.1 कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 26,559 महिलाओं (31.03.2014) को रोजगार मुहैया कराती है । यह कुल जनशद्दि का लगभग 7. 75% होता है । महिला अधिकारियों की संख्या लगभग 849 और मासिक आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 6102 है, शेष अकुशल/दैनिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कोल इंडिया लि. में पुरूषों की अपेक्षा महिला कर्मचारियों के कम अनुपात का एक कारण स्वयं व्यवसाय की प्रकृति है। कोयला खनन अपने आप में एक दुष्कर और खतरनाक व्यवसाय है। इसके अलावा, एक विनियम जो महिला कर्मचारियों को भूमिगत खानों में प्रवेश करने से रोकता है। अधिकांश महिला अधिकारी काघ्मक तथा विघ आदि जैसे प्रशासनिक कार्यों में लगी हैं।

17.2.2 महिलाओं का कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण

कोल इंडिया लि. में कंपनी मुख्यालय कोलकाता और पांच सहायक कंपनियों अर्थात ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल एवं सीएमपीडीआई में सार्वजनिक क्षेत्र प्रकोष्ठ में महिलाओं के लिए एक फोरम है। प्रत्येक विप्स सेल का अध्यक्ष एक समन्वयक होता है जो विधिवत रूप से नियुक्त कार्यपालक समिति के सहयोग से फोरम की विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाता है और उन्हें निष्पादित करता है । कंपनी विप्स के सदस्यों, महिला कर्मचारियों, उनके परिवारों और संपूर्ण समाज के लिए विप्स के विभिन्न कार्यकलापों को सघ्यि सहायता प्रदान करती है जिसमें कल्याणकारी कार्यकलाप, प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियां, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, औद्योगिक जागरूकता संबंधी दौरे, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यघ्म आदि शामिल हैं।

कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां समारोह को प्रायोजित करने, प्रतिनिधियों को अधिकतम संख्या में मनोयन करने तथा उत्कृष्ट उद्यम पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में भाग लेकर भी पूर्वनिर्धारित स्थानों पर प्रत्येक वर्ष फरवरी में विप्स के राष्ट्रीय सम्मेलन मंच के संरक्षण में पूर्ण सहायता देती हैं । हाल के वर्षों में विप्स ने जमीनी स्तर की महिलाओं के पास पहुंचने, लाभदायक पुनर्नियोजन का सुघाव देकर उन्हें सबल बनाने और उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देकर, अपवाद स्वरूप प्रतिभा को मान्यता तथा सम्मान देकर उनके हौसले को बढ़ाने में प्रशंसनीय कार्य किया है ।

201314 के दौरान डब्ल्यूआईपीएस, सीआईएल (मुख्यालय) का विशेष क्रियाकलाप

(क) 12 तथा 13 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में सीआईएल (मुख्यालय) के सात सदस्यों ने भाग लिया तथा भारत के विभिन्न भागों और अन्य पीएसयू से भाग लेने वाले अन्य सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान–प्रदान किया ।

(ख) विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएसआर विभाग की सहायता से कोयला भवन में ''सफाई अभियान'' चलाया गया, जब इन स्थलों का पर्यवेक्षण विप्स के सदस्यों द्वारा किया गया तथा विप्स कार्यालय परिसरों का विशेष सफाई किया गया क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क रहता है, कोलकाता के विभिन्न भागों में 150 कूड़ेदान स्थापित किए गए थे।

17.2.3 खान बालवाड़ी नियमावली, 1946 का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के बच्चों के स्वास्थ्य का विकास और कल्याण करना है । छः वर्ष तक की उम्र के बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण विशेष प्रावधान किया गया है । खान अधिनियम तथा खान बालवाड़ी नियमावली में महिला कर्मचारियों के विस्तृत मानक, कर्मचारियों की संख्या, निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार हवादार कमरे, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं तथा बच्चों की चिकित्सा देखभाल, समुचित पेजयल की सुविधाएं और बच्चों के उचित आहार की व्यवस्था है । बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है।

कंपनी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधान को कार्यान्वित किया जा रहा है।

17.2.4 प्रशिक्षण

सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों का मुख्य बल महिला कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करना है। महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है :

1. शावैल / डम्पर एक्सकेवेशन / पे लोडर प्रचालन
2. हॉलेज / पंखा / पंप प्रचालन
3. लेथ मशीन / मोल्डर / ड्रिलर / प्लम्बर
4. स्विच बोर्ड एटेंडेन्ट
5. आर्मेचर / मोटर वाइंय्डग
6. सुरक्षा

17.2.5 अन्य कल्याणकारी उपाय

(क) महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य कार्यों जैसेअर्द्धचिकित्सा कर्मचारी, डाक्टर, कंप्यूटर व्यावसायिकों, सुरक्षा काघ्मकों आदि के लिए भी की जाती है।

(ख) सीआईएल ने नर्स प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है जहां प्रशिक्षणार्थी नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) महिला कर्मचारियों और पत्नियों/महिला आश्रितों के कल्याण की देखभाल करने के लिए विभिन्न यूनिटों/संस्थानों तथा कोलफील्ड क्षेत्रों में महिला मंडल, महिला समिति और ऐसे अन्य फोरम कार्यरत हैं। वे महिलाओं के लिए समयसमय पर परिचर्चा, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करते हैं।

(घ) सीआईएल द्वारा आयोजित खेलकूल कार्यघ्मों में महिला कर्मचारी सघ्यि रूप से भाग लेती हैं। सुश्री सुमिता लाहा ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारोघोलन में देश के लिए मेडल जीते हैं तथा अच्छी उपलब्धि रही है।

(ङ) वेतन समघौते के अनुसार, जिस कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है उसकी महिला आश्रित को रोजगार तथा आध्थक मुआवजा प्रदान किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर भेदभाव तथा यौन उत्पीड़न संबंधी महिला कर्मचारियों की शिकायतों की जांचपड़ताल करने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(छ) विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों ने कर्मचारियों के सेवा नियमों/स्थायी आदेशों में संशोधन किया है।

17.3 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

17.3.1 नामावली में महिला कर्मचारी

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एनएलसी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 1260 है जिनमें अधिकारियों की संख्या 350 शामिल है।

एनएलसी जनरल अस्पताल में 1 से 8 अगस्त, 2013 तक स्तन–पान सप्ताह मनाया गया।

i) विप्स ने 18.09.2013 को महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया था। मुख्य अतिथि डॉ. पदमिनी, एमडी, डीजीओ ने बाहरी कर्मचारी विकास केन्द्र मुख्य सभागार में 'पेनिन आरकोएम कुदुम्भथिन अथराम' विषय पर व्याख्यान दिया।

ii) विप्स/एनएलसी ने अरविन्द नेत्र अस्पताल, पांडिचेरी के सहयोग से 31.10.2013 को दानिश मिशन स्कूल में मुफ्त आई कैम्प लगाया।

iii) एनएलसी जनरल अस्पताल में 18.11.2013 को 'महिला वेलनेस कार्यघ्म' आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में कैंसर स्घीघ्नग कवर किया गया तथा कामकाजी महिलाओं ने पेप्समियर, यूएस जी ब्रीस्ट, बोन डेन्सिटी जैसे टेस्ट कराए। इस कार्यक्रम से एनएलसी की 1092 महिलाएं लाभान्वित हुई।

पअण 24.11.2013 को महिला दिवस मनाया गया – 'राष्ट्रीय अखण्डता आयोजन।

अण डब्ल्यूआईपीएस ने 'डिफरेंशिएट टचेज – गुड और बैड – थोडू थलूम – थवीरथलम' विषय' पर एनएलसी कैम्पस में 09.12.2013 को नेयवेली स्कूल के शिक्षको तथा छात्राओं एवं उनके माता–पिता के लिए जागरूकता और शिक्षाप्रद कार्यघ्म आयोजित किया।

17.3.2 राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों पर कार्रवाई

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मचारियों को बचाने के लिए एक डाक्टर सहित वरिष्ठ महिला कार्यपालकों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए प्रशिक्षित काघ्मकों वाली ''अंबालय'' नामक एक सुसज्जित बालवाड़ी चलायी जा रही है ।

17.3.3 महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यकलाप

विप्स की एनएलसी शाखा ने महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए अनेक खेलकूद, सांस्कृतिक और सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित तथा संचालित की। वर्ष 2013–14 के दौरान भारत में प्रशिक्षण हेतु 82 महिला कर्मचारियों को नियुक्ति किया गया है। कुशल परामर्श द्वारा महिला कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जाती हैं।

17.3.4 मृत्यु राहत कोष योजना

इस योजना में से मृतक कर्मचारियों के 73 आश्रितों ने कुल 6.16 करोड़ रू. की विघीय सहायता प्राप्त की।

17.3.5 पारिवारिक राहत

प्रत्येक वर्ष लगभग 18 आश्रितों को पारिवारिक राहत प्रदान की जाती है और इस योजना के कारण प्रतिमाह विघीय निकासी लगभग 1.22 लाख रू. होती है।

17.4 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

17.4.1 महिला कर्मचारियों की संख्या

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में कुल 61,778 कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों की संख्या 2,114 है।

एससीसीएल के ग्यारह क्षेत्र	1731
कारपोरेट और हैदराबाद कार्यालय	383
कुल	**2114**

कार्यपालक संवर्ग में	89
गैर कार्यपालक	2025
कुल	**2114**

17.4.2 कल्याण योजना

(क) कंपनी की महिला कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः ध्यिान्वित किया जा रहा है । इस अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अवकाश मंजूर किया जाता है ।

(ख) सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्यकरण के लिए और संबंधित महिला प्रकोष्ठ के संयोजक को लिखित रूप में अपने रोजगार से संबंधित महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए महिला कर्मचारियों के महिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। संबंधित क्षेत्र के महिला प्रकोष्ठ के संयोजक महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान निकालने के लिए समिति के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें करते हैं।

कारपोरेट महिला प्रकोष्ठ प्रति वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोहों के संबंध में क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करते रहे हैं।

(ग) बचत की आदत, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, सेवानिवृघि के बाद की योजना आदि के बारे में कामगारों और उनके परिवारजनों को कंपनी तथा बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की पत्नियों की सघ्यि भागीदारी से सभी क्षेत्रों में ''सिंगरेनी इम्पलाईज वाइव्ज एसोसिएशन'' (एसईडब्ल्यूए) नामक एक समिति का गठन किया गया है ।

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों, उनके पति/पत्नियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्विज कार्यघ्म और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि अवसर पर स्मृतिचिन्ह प्रदान किए जाते हैं।

17.4.3 विशेष विकास कार्यघ्म :

एससीसीएल कंपनी अस्पतालों में 201314 के दौरान (अप्रैल, 13 से दिसम्बर, 13 तक) 1012 परिवार नियोजन आपरेशन (578 सिविलियन सहित) किए गए।

यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि के अलावा है।

एससीसीएल अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

एससीसीएल द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं:

डिग्री कालेज (केवल छात्रा)	01
जूनियर कालेज (केवल छात्रा)	01
पॉलीटेक्निक कालेज	01
हाई स्कूल एवं अपर प्राइमरी स्कूल	10

ईएएमसीईटी/आईआईटी/जेईई(मेन) आदि में 2000 से कम रैंक पाने वाले एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चों को इंजीनियघ्रग/ मेडिकल पाठ्यघ्मों में प्रवेश पाने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र को 10,000 रू. की मेरिट छात्रवृघि स्वीकृत की जा रही है।

सिंगरेनी सेवा समिति (एसएसएस) द्वारा एससीसीएल के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वयं रोजगार के योग्य हो सकें।

एसआरकेएम कालेज आफ नघ्सग, मैन्चेरियल में शैक्षिक वर्ष 2008–09 से एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बीएससी नघ्सग कोर्स में दाखिला के लिए 50% मैनेजमेंट कोटा की सीटें आरक्षित हैं।

एससीसीएल ने अपने निरक्षर कामगारों तथा उनके पति/पत्नी के लिए एक व्यापक साक्षरता कार्यघ्म चालू किया है।

वार्षिक दिवस समारोह के दौरान अर्थात 23 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों एवं कर्मचारियों की पत्नियों के लिए खेलकूद कार्यघ्म आयोजित किए जा रहे हैं।